न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि०)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या–5, जनपद कन्नौज।

CNR NO– UPKJ–0100–2615–2017

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–107/2017

राज्य प्रति सोनू

अपराध सं–760/2016

अन्तर्गत धारा–138 विद्युत अधिनियम

थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज।

06.09.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त सोनू अनुपस्थित। अभियुक्त सोनू को उपस्थित कराने हेतु कई बार थाना में समन/वारण्ट भेजा गया। न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट पर थाना कोतवाली कन्नौज ने लिखित आख्या प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त के घर तथा सभी सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गई परन्तु अभियुक्त दस्तयाव नहीं हुआ। अभियुक्त सोनू की कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

अतः अभियुक्त सोनू के सभी संभावित स्थानों पर न मिलने के कारण उसे फरार घोषित करते हुये इस आपराधिक विचारण की कार्यवाही अन्तर्गत धारा–299 दण्ड प्रक्रिया संहिता/335 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रचलित की गयी। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–1 हरस्वरूप टी.जी.–II का बयान अंकित किया गया।

प्रकरण अत्यंत प्राचीन है, जो माननीय न्यायालय द्वारा चिन्हित एक्शन प्लान के प्राचीनतम वादों की सूची में है। अतएव उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली इस निर्देश के साथ दाखिल दफ्तर की जाती है कि अभियुक्त सोनू के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो। थानाध्यक्ष कन्नौज, जनपद–कन्नौज को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित होने पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अतएव पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अजय कुमार श्रीवास्तव)

विशेष न्यायाधीश**(**विद्युत अधि०**)**/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश**,** कक्ष सं०**-5,**

जनपद-कन्नौज।

J.O.Code-UP02694

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–3168/17

राज्य बनाम सज्जाद हुसैन ।

अपराध सं–49/1974

अन्तर्गत धारा–467, 468, 471, 120B, 409 भा०द०सं०।

थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।

<u>24.08.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सज्जाद अनुपस्थित। अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत आदेशिका पर इस आशय की आख्या के साथ तामीलकर्ता द्वारा वापस किया गया है कि अभियुक्त सज्जाद हुसैन पुत्र शब्बीर हुसैन निवासी गुलाब बाडी कालोनी थाना खुल्दाबाद जिला प्रयागराज अंकित पते पर नहीं रह रहा है तथा वह अपना मकान बेंचकर कही चला गया है।

इस संबंध में उपनिरीक्षक श्री रविन्द सिंह का बयान अंकित किया गया कि अभियुक्त सज्जाद हुसैन की तामील मुझ उ०नि० द्वारा की गयी जो अंकित पते पर नही रह रहा है तथा अपना मकान बेंचकर कही चला गया है, मकान मालिक ने लिखकर तहरीर दिया है आैर रजिस्ट्री की छाया प्रति व थाना खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज की जी०डी० की नकल नपट संलग्न है तथा जामिनदार के संबंध में रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसको पहचानकर मैं तस्दीक करता हूं।

चूंकि तामिलाकर्मा , उपनिरीक्षक के बयान से अभियुक्त सज्जाद हुसैन पुत्र शब्बीर हुसैन का कोई पता नही चल रहा है। अतः अभियुक्त न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। पत्रावली में पॉच साक्षियो के साक्ष्य पूर्व में परीक्षित हो चुके है।

प्रस्तुत प्रकरण अत्यन्त ही प्राचीन है जो वर्ष 1974 से अर्थात लगभग 48 वर्षो से लम्बित चली आ रही है। अतएव उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली इस निर्देश के साथ दाखिल दफ्तर की जाती है कि अभियुक्त सज्जाद हुसैन पुत्र शब्बीर हुसैन के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो।

थानाध्यक्ष छिबरामबऊ, जनपद–कन्नौज को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित होने पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अतएव पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मिलिन्द कुमार सिंह)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं–9276/22
राज्य बनाम चन्द्रप्रकाश आदि ।
अपराध सं– 102/90 व 104/90
थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

25.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मीनू उर्फ नितिन व चन्द्रप्रकाश अनुपस्थित। अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्गत आदेशिका पर इस आशय की आख्या के साथ तामीलकर्ता द्वारा वापस किया गया है कि अभियुक्त मीनू उर्फ नितीन पुत्र रामेन्द्र प्रताप निवासी मण्डी बाजार थाना तिर्वा जनपद कन्नौज अपनी चल–अचल सम्पति बेंचकर कही चला गया है। वह करीब पच्चीस वर्षो में कस्बा तिर्वा में नहीं रहता है। सही पता मालूम नहीं है तथा अभियुक्त चन्द्रप्रकाश पुत्र दुलारे लाल निवासी आजादनगर थाना तिवा जनपद कन्नौज करीब 10–12 वर्षो से पूर्व में अपनी चल–अचल सम्पति बेंचकर कही चला गया है। सही पता मालूम नहीं है

इस संबंध में उपनिरीक्षक श्री आेमपाल सिंह का बयान अंकित किया गया कि अभियुक्त मीनू उर्फ नितीन व अभियुक्त चन्द्रप्रकाश पर जारी N.B.W. पर आख्या प्राप्त है कि उक्त अभियुक्तगण अंकित पते पर नही रह रहें है तथा अपना मकान बेंचकर कही चले गये है, उपरोक्त रिपोर्ट मेरे ही हस्तलेख व हस्ताक्षर में है उक्त रिपोर्ट के साथ सभासद की भी रिपोर्ट संलग्न है। हस्तलेख व हस्ताक्षर पहचानकर मैं तस्दीक करता हूं।

चूंकि तामिलाकर्मा, उपनिरीक्षक के बयान से अभियुक्तगण का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त मीनू उर्फ नितीन व अभियुक्त चन्द्रप्रकाश न मिलने पर उन्हें फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली इस निर्देश के साथ दाखिल दफ्तर की जाती है कि अभियुक्त मीनू उर्फ नितीन व अभियुक्त चन्द्रप्रकाश के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो। SHO तिर्वा जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन मे अवगत कराये।

थानाध्यक्ष तिर्वा, जनपद–कन्नौज को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित होने पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अतएव पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं–1272/2016
राज्य बनाम विश्राम/वकिल खां ।

अपराध सं– 61/94 व 62/94
धारा 25/27 Arms Act
थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज।

16.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त वकिल खां अनुपस्थित। अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत आदेशिका पर इस आशय की आख्या के साथ तामीलकर्ता विनोद कुमार कुशवाहा द्वारा कथन किया गया है कि "अभियक्त वकिल खां पुत्र मकसूद खां उर्फ मकबूल खां निवासी कुम्हारनपुर्वा कुसुमखोर थाना व जिला कन्नौज के सम्भावित स्थानो पर दबिश व तलाश की गयी तो आस पास के लोगो ने बताया कि वकील खां का लगभग 25 वर्षो से यहा आना जाना नही है। वह कही बाहर रह रहा है। "प्रस्तुत पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1994 की है।

चूंकि तामिलाकर्मा, उपनिरीक्षक के बयान से अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त वकील खां पुत्र मकसूद खां उर्फ मकबूल खां के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा उपनिरीक्षक श्री नत्थू सिंह का बयान बातौर द्वितीयक साक्षी अंकित कराया गया ।

अतएव उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली इस निर्देश के साथ दाखिल दफ्तर की जाती है कि अभियुक्त वकील खां पुत्र मकसूद खां उर्फ मकबूल खां के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो। थानाध्यक्ष इन्दरगढ जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन मे अवगत कराये।

थानाध्यक्ष इन्दरगढ, जनपद–कन्नौज को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित होने पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अतएव पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं–3490/2016
राज्य बनाम आेंमकार।
धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम
थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज।

11.10.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त आेंमकार अनुपस्थित। अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत आदेशिका पर इस आशय की आख्या के साथ तामीलकर्ता सुदेश कुमार द्वारा कथन किया गया है कि "अभियुक्त आेमकार के विरूद्ध जारी प्रोसेस पर तामिलाकर्ता सुदेश कुमार द्वारा कथन किया गया है कि वारण्टी आेमकार पुत्र श्री कैलाश यादव ग्राम बधवा गॉव में कोई व्यक्ति नहीं मिला है । इस संबंध में ग्राम प्रधान से जानकारी की गयी तो उससे भी अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी नही हो सकी। "प्रस्तुत पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1998 की है।

चूंकि तामिलाकर्मा, उपनिरीक्षक के बयान से अभियुक्त का कोई पता नहीं

चल रहा है। अतः अभियुक्त आंेमकार पुत्र कैलाश के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तामिलकर्ता/उपनिरीक्षक सुदेश कुमार का बयान बातौर साक्षी अंकित कराया गया ।

अतएव उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली इस निर्देश के साथ दाखिल दफ्तर की जाती है कि अभियुक्त आंेमकार के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो। संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन मे अवगत कराये।

थानाध्यक्ष कन्नौज, जनपद–कन्नौज को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित होने पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अतएव पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–3339/2016
राज्य बनाम छोटेलाल।
अपराध सं–51/1994
थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज।

<u>13.10.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त संजू गुप्ता व शिशुपाल सिंह उर्फ चिरंईया अनुपस्थित। अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्गत आदेशिका पर इस आशय कथन किया गया है कि " अभियुक्तगण के घरो में ताला लगा है । " इसप्रकार अभियुक्तगण के बारे में कोंई जानकारी नही हो सकी। प्रस्तुत पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1994 की है। चूंकि अभियुक्तगण का कोंई पता नहीं चल रहा है। अभियुक्तगण छोटेलाल व शिशुपाल सिंह उर्फ चिरंईया के न मिलने पर उन्हें फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जा चुकी है।

अभियुक्तगण छोटेलाल व शिशुपाल सिंह उर्फ चिरंईया के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित

पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन मे अवगत कराये। पत्रावली को नष्ट नहीं की जाये आैर यदि अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो पत्रावली तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

पत्रावली के दाखिल दफ्तर होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, कन्नौज व डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाये। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–3502/2016
राज्य बनाम वीरेन्द्र कुमार आदि।
अन्तर्गत धारा– 7/16 पी०एफ० एक्ट
थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज।

14.10.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण राजकुमार व सी०वी०सिंह (मैनेजर) अनुपस्थित। अभियुक्तगण विगत कर्इ तिथियों से लगातार अनुपस्थित है जिनके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी आैर न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1999 की है। चूंकि अभियुक्तगण का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्तगण राजकुमार व सी०वी०सिंह (मैनेजर) के न मिलने पर उन्हें फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में ही अग्रसारित की जा चुकी है।

अतएव अभियुक्तगण राजकुमार व सी०वी०सिंह (मैनेजर) के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो। संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन मे अवगत कराये। पत्रावली को नष्ट नहीं की जाये आैर यदि अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

पत्रावली के दाखिल दफ्तर होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, कन्नौज व डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाये। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–1616/2016
राज्य बनाम अनिल ।
मुकदमा अपराध सं– 117/1999
अन्तर्गत धारा– 25 आयुध अधिनियम
थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज।

14.10.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनिल पुत्र रामदास अनुपस्थित। अभियुक्त विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी और न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1999 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त अनिल पुत्र रामदास के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जा चुकी है।

अतएव अभियुक्त अनिल के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो। संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन मे अवगत कराये। पत्रावली को नष्ट नहीं की जाये और यदि अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

पत्रावली के दाखिल दफ्तर होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, कन्नौज व डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाये। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं–1922/2016
राज्य बनाम अशोक आदि ।

मुकदमा अपराध सं– 257/1997
अन्तर्गत धारा– 4/25 आयुध अधिनियम
थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

15.10.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अशोक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 06.10.2022 को जुर्म स्वीकार किया गया। अतः शेष अभियुक्त मटरू पुत्र टेनीबाज का विचाराण किया जा रहा है।

अभियुक्त मटरू अनुपस्थित। अभियुक्त विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका इस आशय से वापस की गयी कि अभियक्त वर्तमान में धारा नगर हंसापुरा थाना तिर्वा जनपद कन्नौज में नही रहता है। और कहा रहता है उसका कोई पता नही चल रहा है। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1997 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त मटरू पुत्र टेनी के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जा चुकी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा उपनिरीक्षक श्री नत्थू सिंह का बयान बतौर द्वितीयक साक्षी अंकित कराया गया ।

अतएव अभियुक्त मटरू के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये। संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन मे अवगत कराये। पत्रावली नष्ट नहीं की जाये और यदि अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

पत्रावली के दाखिल दफ्तर होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, कन्नौज व डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाये। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–214/2016
राज्य बनाम सत्येन्द्र यादव ।
CNR No– UPKJ040098192016
मुकदमा अपराध सं– 5/1997
अन्तर्गत धारा– 25 आयुध अधिनियम

थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज।

21.10.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सत्येन्द्र यादव अनुपस्थित। अभियुक्त विगत कर्इ तिथियों से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका इस आशय से वापस की गयी कि सत्येन्द्र यादव पुत्र श्री सियाराम यादव का कोर्इ व्यक्ति ग्राम बहवलपुर में नही रहता है । पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1997 की है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त सत्येन्द्र यादव के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जा चुकी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा उपनिरीक्षक श्री नत्थू सिंह का बयान बतौर द्वितीयक साक्षी अंकित कराया गया ।अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2–संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4–आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–3166/2017
राज्य बनाम गिरीशचन्द्र आदि।
मुकदमा अपराध सं–29/1971
अन्तर्गत धारा– 409, 467, 468, 477A, 471 व
120B आयुध अधिनियम
थाना तालग्राम, जनपद कन्नौज।

19.10.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत पत्रावली अपराध सं–29/1971 के अन्तर्गत धारा 409 भा०दं०वि० थाना तिर्वा से संबंधित है। जिसमें दिनांक 28.10.1994 को अभियुक्तगण ग्रीशचन्द्र, नवम्बर सिंह, नरेशचन्द्र, सरनाम व चेतराम सिंह के विरूद्ध धारा 409, 467, 468, 477A, 471 व 120B में आरोप विरचित किया गया । पत्रावली में नवम्बर सिंह, मिर्जाहाकिम, चेतराम की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित हो चुकी है। अभियुक्त मिर्जाहाकिम की मृत्यु, आरोप विरचन के पूर्व ही हो चुकी थी। पत्रावली मात्र गिरीशचन्द्र व नरेशचन्द्र के संबंध में लम्बित है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 14.08.2019 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए अभियुक्त ग्रीशचन्द्र के विरूद्ध वाद की कार्यवाही धारा 299 द०प्र०सं० के तहत अग्रसारित की गयी। तत्पश्चात दिनांक 14.02.2022 को अभियुक्त ग्रीशचन्द्र के विरूद्ध पुनः स्थायी गैर जमानतीय आदेश जारी करने का आदेश किया गया ।

इससे पूर्व यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ग्रीशचन्द्र के विरूद्ध दिनांक 15.10.1990 में धारा 82/83 द०प्र०सं० की आदेशिका का निष्पादन किया जा चुका था। चूंकि अभियुक्त ग्रीशचन्द्र के विरूद्ध वाद की कार्यवाही धारा 299 द०प्र०सं० के तहत अग्रसारित हो चुकी है आैर उसके विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र की आदेशिका निर्गत करने का आदेश भी हो चुका है। एेसी परिस्थिति में अभियुक्त ग्रीशचन्द्र के विरूद्ध पत्रावली को लम्बित रखना निर्थक है। अतः अभियुक्त ग्रीशचन्द्र की पत्रावली से अभियुक्त नरेशचन्द्र की पत्रावली को पृथक करते हुए पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त ग्रीशचन्द्र के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2–संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका

में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4–आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो।

कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–1821/2017
राज्य बनाम कमलेश ।
मुकदमा अपराध सं–243/1997
धारा– 406 भा०दं०वि०
थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

20.10.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी और न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1997 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल

रहा है। अतः अभियुक्त कमलेश दीक्षित के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जा चुकी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उपनिरीक्षक श्री नत्थू सिंह का बयान बतौर द्वितीयक साक्षी अंकित कराया गया । अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त कमलेश के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2–संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4–आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–3520/2016

राज्य बनाम मो० सलीम ।

धारा– 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम।

थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज।

05.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी और न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1993 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त मो० सलीम के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जाती है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उपनिरीक्षक श्री नत्थू सिंह का बयान बतौर द्वितीयक साक्षी अंकित कराया गया । अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त मो० सलीम के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2–संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4–आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल,

कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक परिवाद सं–2720/2016
लाखन सिंह प्रति कप्तान सिंह
थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

09.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी और न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1988 की है। चूंकि अभियुक्तगण का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त कप्तान सिंह व गिरजा शंकर के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित करते हुए पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्तगण कप्तान सिंह व गिरजाशंकर के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2–संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4–आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्तगण उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उन्हें अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–3483/2016

राज्य बनाम शाहमुहम्मद ।

धारा– 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम।

थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज।

11.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी और न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1999 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त शाहमुहम्मद के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त शाहमुहम्मद के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2–संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4–आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–1687/2016

राज्य बनाम छोटू उर्फ कृष्ण कुमार ।
अपराध सं–99/08
धारा– 363,366 भा०द०सं०।
थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज।

11.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कर्इ तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। अभियुक्त के विरूद्ध फरार में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत 82/83 द०प्र०सं० की आदेशिका जारी है परन्तु अभियुक्त अभी तक गिरफतार नही हुआ है। चूंकि पत्रावली माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है अतः इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य करना उचित नही है। चूंकि पत्रावली प्राचीन है जिसमें अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा– 299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त छोटू उर्फ कृष्ण कुमार के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2–संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4–आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं–450/2017
राज्य बनाम सुनील ।
अपराध सं–80/13
धारा– 307, 506 भा०द०सं०।
थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

19.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत 82/83 द०प्र०सं० की आदेशिका जारी है परन्तु अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नही हुआ है। चूंकि पत्रावली माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है अतः इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य करना उचित नही है। चूंकि पत्रावली प्राचीन है जिसमें अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा– 299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त सुनील कुमार के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–3523/2016
राज्य बनाम पप्पू ।
धारा– 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम।
थाना व जनपद कन्नौज।

19.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी और न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी

के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1999 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त पप्पू पुत्र खुशीलाल के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जाती है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उपनिरीक्षक श्री नत्थू सिंह का बयान बतौर द्वितीयक साक्षी अंकित कराया गया । अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त पप्पू पुत्र खुशीलाल के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2–संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4–आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं.–520/2016
राज्य बनाम दिनेश आदि।
अपराध सं–274,275/1994
धारा– 25 आयुध अधिनियम।
थाना व जनपद कन्नौज।

19.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है, जिनके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी और न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1994 की है। चूंकि अभियुक्तगण का कोई

पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्तगण दिनेश व राजकपूर के न मिलने पर उन्हें फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जाती है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उपनिरीक्षक श्री नत्थू सिंह का बयान बतौर द्वितीयक साक्षी अंकित कराया गया । अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्तगण दिनेश व राजकपूर के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं.–1749A/2016
राज्य बनाम मुण्डन उर्फ योगन्द्र आदि।
अपराध सं–271/1993
धारा– 324, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता।
थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

23.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण लालजी व मुन्दन विगत कर्इ तिथियों से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी आैर न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1993 की है। चूंकि अभियुक्तगण का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्तगण लालजी व मुन्दन के न मिलने पर उन्हें फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जा चुकी है। अतएव पत्रावली

निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्तगण लालजी व मुन्दन के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं.–3597/2016
राज्य बनाम प्रमोद कुमार।
अपराध सं–163/2001
धारा– 39, 40, 49B भारतीय दण्ड संहिता।
थाना व जनपद कन्नौज।

23.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त प्रमोद कुमार शर्मा विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका इस आख्या वापस की गयी कि अभियुक्त प्रमोद शर्मा अंकित पते पर खराद मशीन की दुकान करता था जो ग्राम खुरदैइया थाना तिर्वा जिला कन्नौज का मूल निवासी था जो करीब 10 साल से दुकान खाली कर गॉव से सपरिवार किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है।। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 2001 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उन्हें फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जा चुकी है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त प्रमोद कुमार शर्मा के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं.–955/2016
राज्य बनाम विष्णु नरायण।
अपराध सं–33/1991
धारा– 409 भारतीय दण्ड संहिता।
थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज।

<u>24.11.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विष्णु नरायण विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी आैर न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1991 की है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत पूर्व में अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त विष्णु नरायण के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य

नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं.–3491/2016
राज्य बनाम बब्लू गुप्ता।
धारा– 7/16 पी एफ एक्ट।
थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।

<u>25.11.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त बब्लू गुप्ता विगत कई वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका तामीला इस आख्या के साथ वापस आयी कि बब्लू नाम कोई व्यक्ति नही है और न ही पहले रहने की पुष्टि हुयी है तथा इस व्यक्ति को कोई घर मकान चल अचल सम्पति नही है। जिसके संबंध में सभाषद की तहरीर दाखिल है। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1991 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त बब्लू गुप्ता के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे

अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं.–3344/2016
राज्य बनाम लाला वर्मा।
धारा– 21/22 एन डी पी एस एक्ट।
थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज।

29.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त लाला वर्मा विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी आैर न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 2007 की है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त लाला वर्मा के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं०–2480/2016
अपराध सं–2480/2016
राज्य बनाम रामप्रकाश।
धारा– 279, 304A भा०द०सं०।
थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

25.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त रामप्रकाश विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका इस आख्या के साथ प्रस्तुत हुयी कि अभियुक्त के आस पडोस के लोगो व पूर्व सांसद के यहॉ पूछताछ की गयी तो बताया गया कि उक्त रामसेवक सात–आठ वर्षो से यहा नही रहता है ना ही उसका यहॉ पर कोर्इ मकान है। वर्तमान में कहा रहा रहा है पता नही चल पाया । पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1995 की है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त रामप्रकाश के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं०–3270/2016
अपराध सं–140/1997
राज्य बनाम मुकेश।
धारा– 25 आयुध अधिनियम।
थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

05.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त मुकेश विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी आैर न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1997 की है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त मुकेश पुत्र शान्तीराम के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट,

कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं०–524/2017
अपराध सं–04/2014
राज्य बनाम अंजेश।
धारा– 363, 366 आयुध अधिनियम।
थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

06.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त अंजेश विगत कई वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी और न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 2014 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त अंजेश पुत्र अमर सिंह के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं०–3180/2016
अपराध सं–153/1993
राज्य बनाम राजेश।
धारा– 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज।

07.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आरोप पत्र जब से पत्रावली में प्रेषित की गयी है तब से अभियुक्त उपस्थित नही हुआ है। अभियुक्त विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका पर अंकित है कि करीब दस वर्ष पूर्व राजेश मय परिवाद अपना मकान जमीन बेंचकर किसी अज्ञात जगह पर चला गया है। मोहल्ले वालो से लिखित तहरीर ली गयी जो कि संलगन है। अभियुक्त के जामिनदारो को प्रेषित रिपोर्ट में भी अंकित है कि उसका पता नही चल सका है। पत्रावली वर्ष 1993 की है जिसको लम्बित रखना उचित नही है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। पत्रावली सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है अतः साक्ष्य अंकित नही हो सकते। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त राजेश पुत्र मुन्ना लाल कंजड के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं०–3173/2017
अपराध सं–216/1997
राज्य बनाम अमरपाल सिंह।
धारा– 409, 420, 467, 468, 471 भा०दं०वि
थाना व जनपद जनपद कन्नौज।

08.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कई वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न तो ही तामीला करायी गयी और न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1997 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त अमर सिंह पुत्र नत्थू सिंह के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे

अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं०–1893A/2017
अपराध सं–212/2014
राज्य बनाम जिलेदार।
धारा– 307 भा०दं०वि
थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

13.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका पर अंकित है कि अभियुक्त जिलेदार उर्फ जलील पुत्र हसन खां बन्जारा निवासी कुआका नगला थाना विछंवा जनपद मैनपुरी को कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है । आरोप पत्र मफरूरी में दाखिल किया गया है। पत्रावली वर्ष 2014 की है जिसको लम्बित रखना उचित नही है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। पत्रावली सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है अतः साक्ष्य अंकित नही हो सकते। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त जिलेदार उर्फ जलील पुत्र हसन खां बन्जारा के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे

अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं०–3611/2016
अपराध सं–119/1996
राज्य बनाम कैलाश चन्द्र।
धारा– 39/40 व 40 (ख) विझुत अधिनियम।
थाना व जनपद कन्नौज।

16.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कई वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न तो ही तामीला करायी गयी और न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 1996 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त कैलाश चन्द्र के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त कैलाश चन्द्र के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को

प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं०–1892A/2017
अपराध सं–211/2014
राज्य बनाम जिलेदार।
धारा– 5 क/8 गोवध निवारण अधिनियम व
धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम
थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

19.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत क ई वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका पर अंकित है कि अभियुक्त जिलेदार उर्फ जलील पुत्र हसन खां बन्जारा निवासी कुआका नगला थाना विछंवा जनपद मैनपुरी को कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है । आरोप पत्र मफरूरी में दाखिल किया गया है। पत्रावली वर्ष 2014 की है जिसको लम्बित रखना उचित नही है। चूंकि अभियुक्त का को ई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त जिलेदार उर्फ जलील पुत्र हसन खां बन्जारा के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आ ैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को

प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं०–5016/2017
अपराध सं–257/2014
राज्य बनाम शमशुल नट।
धारा–307,147,148,149 भा०दं०वि
थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज।

20.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण लगातार अनुपस्थित है, उनके विरूद्ध निर्गत आदेशिका को तामील नही कराया जा सका है। आरोप पत्र भी मफरूरी में प्रस्तुत किया गया। पत्रावली प्राचीन पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 2014 की है। चूंकि अभियुक्तगण का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्तगण को फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। चूंकि पत्रावली सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है अतः किसी साक्षीगण की साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष अंकित नही हो सकता है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्तगण शमशुलनट व बाबू के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं०–2747/2016
अपराध सं–154/2001
राज्य बनाम इतवारी।
धारा–25 आयुध अधिनियम।
थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज।

20.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कई वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न तो ही तामीला करायी गयी और न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीन पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 2001 की है। चूंकि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त इतवारी के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं०–3516/2016
राज्य बनाम संजीव कुमार।
धारा–7/16 पी०एफ० एक्ट
थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज।

06.01.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका पर अंकित है कि अभियुक्त संजीव पुत्र श्रीकृष्ण यादव निवासी ग्राम देवीपुरवा थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज के इस नाम पता का कोर्इ भी व्यक्ति गॉव देवीपुरवा में नही है।

पत्रावली वर्ष 2003 की है जिसको लम्बित रखना उचित नही है। चूंकि अभियुक्त संजीव पुत्र श्रीकृष्ण यादव का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त संजीव पुत्र श्रीकृष्ण यादव के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं०–132/2011
राज्य बनाम मो० सलीम।
अपराध सं–462/1990

धारा–353 भा०दं०वि व धारा 39/40 विद्युत अधिनियम
थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज।

30.01.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका पर अंकित है कि अभियुक्त मो० सलीम पुत्र श्री हमीद निवासी किदर्इनगर, गुरसहायगंज जनपद कन्नौज के सभासद श्रीमती रिजवाना बेगम ने लिखकर दिया है कि उक्त नाम पते का व्यक्ति निवास नही करता। जिसके संबंध में उक्त सभासद की लिखित तहरीर आदेशिका के साथ संलग्न है।

पत्रावली वर्ष 1990 की है जिसको लम्बित रखना उचित नही है। चूंकि अभियुक्त मो० सलीम का कोर्इ पता नहीं चल रहा है तथा शेष अभियुक्त मो० शमीम की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। अतः अभियुक्त मो० सलीम के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त मो० सलीम पुत्र श्री हमीद के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं०–3470/2016
राज्य बनाम श्रवण कुमार तिवारी।
धारा–7/16 पी०एफ० एक्ट

थाना व जनपद कन्नौज।

30.01.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त श्रवण कुमार तिवारी विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी आैर न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 2001 की है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त श्रवण कुमार तिवारी के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(मिलिन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं०–3473/2016
राज्य बनाम मानवीर सिंह,
धारा–7/16 पी०एफ० एक्ट
थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज।

08.05.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त मानवीर सिंह

विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका न ही तामीला करायी गयी आैर न ही अदम तामील वापस की गयी। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 2007 की है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त मानवीर सिंह के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(विपिन यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं–3292/2017
राज्य बनाम मुकेश,
अपराध सं–56/2009
अन्तर्गत धारा–436, 323, 304, 427 भा०द०सं०।
थाना ठठिया, जनपद कन्नौज।

30.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मुकेश अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, अभियुक्त मुकेश के विरूद्ध मफरूरी में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है तथा अभियुक्त मुकेश विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है। अभियुक्त के विरूद्ध आदेशिका निर्गत की गयी । निर्गत आदेशिका इस आशय के साथ वापस किया गया कि " अभियुक्त मुकेश करीब 15 वर्ष से गांव नहीं आया हैं। उसकी कोर्इ सम्पत्ति नहीं है।

पत्रावली पर प्रधान ग्राम पंचायत बस्ता वि०ख० उमर्दा (तिर्वा),कन्नौज की आख्या दाखिल है। आख्या में यह उल्लिखित है कि मुकेश 15–16 सालों से गायब है। मुकेश का कोर्इ अता पता नहीं है। इसकी कोर्इ सम्पत्ति नहीं है। पत्रावली प्राचीन पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 2009 की है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। वास्ते साक्ष्य धारा 299 सी०आर०पी०सी० हेतु दिनांक 14.06.2024 को पत्रावली पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।
दाण्डिक वाद सं–3495/2016
राज्य बनाम दिनेश,
अन्तर्गत धारा–7/16 पी०एफ०एक्ट,
थाना गुरसहायगंज,जनपद कन्नौज।

<u>03.07.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त दिनेश अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, अभियुक्त दिनेश विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है। अभियुक्त के विरूद्ध आदेशिका निर्गत की गयी । निर्गत आदेशिका इस आशय के साथ वापस किया गया कि " अभियुक्त दिनेश के नाम व पते का कोर्इ व्यक्ति गांव में नहीं रहता है। पत्रावली पर प्रधान ग्राम पंचायत वलीदादपुर,वि०ख०गुगरापुर (कन्नौज)की आख्या दाखिल है। आख्या में यह उल्लिखित है कि अभियुक्त के नाम पते का कोर्इ व्यक्ति गांव में नहीं रहता है। इसकी कोर्इ सम्पत्ति नहीं है। पत्रावली प्राचीन पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 2004 की है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। वास्ते साक्ष्य धारा 299 सी०आर०पी०सी० हेतु दिनांक 09.07.2024 को पत्रावली पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं०–1647/2018
अपराध सं–577/2014
राज्य बनाम इन्द्रजीत यादव
धारा–364, 328, 342, 506, 376D भा०दं०वि
थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

16.07.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त इन्द्रजीत यादव विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है, जिसके विरूद्ध निर्गत आदेशिका पर अंकित है कि अभियुक्त इन्द्रजीत की वर्ष 2015 में कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है । आरेाप पत्र मफरूरी में दाखिल किया गया है। पत्रावली वर्ष 2018 की है जिसको लम्बित रखना उचित नही है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। पत्रावली सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है अतः साक्ष्य अंकित नही हो सकते। अतएव पत्रावली निम्न शर्तों के अधीन दाखिल दफ्तर की जाती है।

आदेश

1– अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र वर्माजीत यादव के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत होकर संबंधित थाने पर प्रेषित हो आैर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

2– संबंधित थानाध्यक्ष जारी किये गये स्थायी गैर जमानती वारण्ट को संबंधित पंजिका में दर्ज कर उसका क्रमांक न्यायालय को सात दिन में अवगत कराये।

3– पत्रावली पर लाल पेन से यह अंकित किया जाये कि यह पत्रावली विनष्ट होने योग्य नहीं है।

4– आदेश की प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से स्थायी गैर

जमानती वारण्ट के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त उपरोक्त जहां कहीं भी पाया जाये, उसे अविलम्ब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः तलब होकर अग्रसारित की जायेगी।

5– आदेश की एक प्रति डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित हो। कार्यालय अनुपालन करें।

(विपिन यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–714/2022
राज्य बनाम शोएब
अन्तर्गत धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना कोतवाली तिर्वा, जनपद कन्नौज।

20.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त शोएब अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, अभियुक्त शोएब विगत कर्इ वर्षो से लगातार अनुपस्थित है। अभियुक्त के विरूद्ध आदेशिका निर्गत की गयी । निर्गत आदेशिका इस आशय के साथ वापस किया गया कि " अभियुक्त शोएब व उसके परिवार के लोग गांव सुजावलपुर में नहीं रहता है। पत्रावली पर प्रधान ग्राम पंचायत सुजावलपुर, वि०ख०गंजडुण्डवारा जिला कासगंज की आख्या दाखिल है। थाने की आख्या में यह उल्लिखित है कि अभियुक्त के पते की कोर्इ लाभप्रद जानकारी न हो पाने के कारण उसके विरूद्ध आदेशिकाआें की कोर्इ कार्यवाहीं नहीं हो सकी है। पत्रावली प्राचीन पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 2022 की है। चूंकि अभियुक्त का कोर्इ पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। वास्ते साक्ष्य धारा 299 सी०आर०पी०सी० हेतु दिनांक 26.07.2024 को पत्रावली पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

दाण्डिक वाद सं–568/2017

राज्य बनाम जयवीर आदि।

अन्तर्गत धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता,

थाना कोतवाली तिर्वा, जनपद कन्नौज।

23.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण शिवनाथ व जगदीश अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, अभियुक्तगण शिवनाथ व जगदीश विगत कई वर्षो से लगातार अनुपस्थित है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आदेशिका निर्गत की गयी थी, जिसके अनुपालन में अभियुक्तगण के विरूद्ध कुर्की की कार्यवाहीं की जा चुकी है। परन्तु फिर भी अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहे है। पत्रावली प्राचीन पत्रावलियों के श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो कि सन 2017 की है। चूंकि अभियुक्तगण शिवनाथ व जगदीश का कोई पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्तगण के न मिलने पर उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली की कार्यवाही धारा–299 सी०आर०पी०सी० के तहत अग्रसारित की जाती है। वास्ते साक्ष्य धारा 299 सी०आर०पी०सी० हेतु दिनांक 25.07.2024 को पत्रावली पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।